

02.03.21. पत्रावली पेश हुई बार-बार आवाज जाने के
उपरान्त भी न तो अपीलान्ट उपस्थित आये और
न अधिवक्ता अपीलान्ट उप 0 आये। अतः पत्रावली
अदम धजरी व अदम पैरवी में खारिज की जाती
है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम
की जावे, बाद जाफा कारखिल दफ्तर हो।

भू प्रबन्ध अधिकारी

पदेन

राजस्व अपील प्राधिकारी

भरतपुर (राज.)